

मुकदमा नंबर:- 79/2022

सेवानुं

24.01.23

वादी मध्य वादी वकील द्वारा निवेदन पर पत्रावली आज रजिस्ट्रार की गई।

वादी मध्य वादी वकील द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझौता होने से वादी उक्त वाद को अब आगे नहीं चलाना चाहता है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा विज्ञो प्रप्तया जावे।

वादी एवं वादी वकील के निवेदन पर पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के मध्य नजर उक्त वाद जरिये राजीनामा विज्ञो किया जाता है।

पत्रावली केवल शुमार हीवर दायित्व दफ्तर ही।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) सिवाना

अ.नि.
रामाराम

